बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3 / कृ. बजट–प्राक्कलन–01 / 2019– 3604 / कृ., पटना, दिनांक 25-10-2019

MAIL/FAX प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक प्र0 –सह–अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक उद्यान/भूमि संरक्षण/पी०पी०एम० बिहार, पटना/अपर निदेशक, (शष्य) कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण)/(कृषि अभियंत्रण), बिहार, पटना/(कृषि अभियंत्रण) कर्मशाला पटना/(कृषि अभियंत्रण) पोस्ट हार्वेस्ट बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक, (रसायन) मिट्टी जाँच /गुण नियंत्रण/कम्पोस्ट एवं वायोगैस बिहार, पटना/ संयुक्त निदेशक (शष्य)–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णियाँ/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक (शष्य) शिक्षा/तेलहन/सूचना/ बीज निरिक्षण / बीज विश्लेषण/बीज परिक्षण/टाल दियारा चौड़ विकास बिहार, पटना/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) कृषि अभियंत्रण कर्मशाला/ सभी उप निदेशक (पौधा संरक्षण)/उद्यान/ उप निदेशक (शष्य) प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र मुशहरी मुजफ्फरपुर–सह–प्रचार्य/सभी सहायक निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण प्रयोगशाला/सभी सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)/सभी सहायक निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि निदेशालय/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कृषि विभाग बिहार, पटना।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट प्राक्कलन एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 का पुनरिक्षित प्राक्कलन भेजने के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश।**

प्रसंगः– **वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांकः–876 दिनांक–18.09.2019 एवं विभागीय पत्रांकः–3273 दिनांक–01.10.2019 एवं पत्रांकः–3427 दिनांक–16.10.2019।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 का बजट प्राक्कलन एवं 2019–20 का पुनरिक्षित प्राक्कलन दिनांक–10.10.2019 तक भेजने का अनुरोध किया गया था। जो अभी तक अप्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2019–20 से CFMS प्रणाली पूर्ण रूप से लागू हो गया है। इसलिए बगैर बजट प्राक्कलन के राशि आवंटित नहीं किया जा सकता है। कार्यरत बल तथा स्वीकृत बल की सही जानकारी प्रत्येक शीर्ष के लिए आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि बजट प्राक्कलन दिनांक– 04.11.2019 तक निश्चित रूप से अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित तिथि तक प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जितने कार्यालय का प्राप्त होगा उतने कार्यालय का हीं बजट भेजा जाएगा अन्य कार्यालय का अगले वर्ष में वेतन की राशि देना सम्भव नहीं होगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

(प्रभु राम)
निदेशक प्र0 –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3604 / कृ., पटना, दिनांक 25-10-2019

प्रतिलिपिः– सचिव कृषि के प्रधान आप्त सचिव /कृषि निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी संयुक्त निदेशक से अनुरोध है कि अपने अधिन्स्थ सभी कार्यालयें का बजट प्राक्कलन संकलित कर दो दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित किया जाय।

निदेशक प्र0 –सह– अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3604 /कृ०, पटना, दिनांक 25-10-2019

प्रतिलिपिः— उप निदेशक (शष्य) सूचना/आई०टी० मैनेजर कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्र0 —सह— अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Aawantan\Awantan Letter\Budget Prakalan.doc 14